

रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड का अधिसूचना सं० हिंदी-88/राजभाषा/12/6
दिनांक 29.9.1988 की प्रतिलिपि ।

अधिसूचना

राजभाषा सं० के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 12 और 14 के अनुसरण में रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड उत्तर रेलवे के दिल्ली मण्डल के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहाँ के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है ।

उत्तर रेलवे

दिल्ली मण्डल

20.9.88

- | | | |
|-----|-----|-----------------------|
| 229 | 1. | कुरुक्षेत्र स्टेशन |
| 230 | 2. | करनाल स्टेशन |
| 231 | 3. | सोनीपत स्टेशन |
| 232 | 4. | समालखा स्टेशन |
| 233 | 5. | बादली स्टेशन |
| 234 | 6. | शाहबाद मारकंडा स्टेशन |
| 235 | 7. | गाजियाबाद स्टेशन |
| 236 | 8. | दिवाना स्टेशन |
| 237 | 9. | घासीपुर स्टेशन |
| 238 | 10. | नीलो छोड़ी स्टेशन |
| 239 | 11. | अमीन स्टेशन |
| 240 | 12. | बाबरपुर स्टेशन |
| 241 | 13. | डोडा छोड़ी स्टेशन |
| 242 | 14. | शामली स्टेशन |
| 243 | 15. | बामपत रोड स्टेशन |
| 244 | 16. | बड़ौत स्टेशन |

—ह—
। एस० एम० वैशा ।
सचिव, रेलवे बोर्ड,

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव
। भारत के राजपत्र के भाग-2 भांड-3 के उपखंड 12 में प्रकाशनाया ।

ह०/-

। विजय कुमार मल्होत्रा ।
संयुक्त निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

.....

6

पत्र सं० : 843-ई/147/रतोट्टाओ/ई-7

मण्डल रेल प्रबन्धक/दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लुधियाना, इलाहाबाद, मुरादाबाद, जोधापुर,
बीकानेर ।

अष्टिसूचक

कुते महाप्रबन्धक/राजभाषा